Haryana Vidhan Sabha

Debates

21st June, 1967

(Evening Sitting)

Vol. I – No. – 22

Official Report

Contents

Wednesday, the 21st June, 1967

	Pages
Motion under Rule 16	(22)1
Resolutions/Motions re:-	
Removal of Speaker/want of confidence/	

Full confidence in the Speaker (22)2

Bill:-

The Haryana Appropriation (No. 2), 1967 (22)4

Announcement by the Speaker (22)10

Haryana Vidhan Sabha

Wednesday, the 21st June, 1967

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh, at 12.30 p.m. of the Clock. Mr. Deputy Speaker (Chaudhri Manphool Singh) in the Chair.

MOTION UNDER RULE 16

Chief Minister: (Rao Birender Singh) Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move – That the Assembly ....

श्रीमती ओमप्रभा जैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर 'सर'। डिप्टी स्पीकर साहिब हमने आफिस में कुछ नोटिस दिए हैं, उनका क्या हुआ?.... (शोर)

Chief Minister: Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day.....(Interruptions and Noise)

Chief Minister: Sir, I beg to move- (Interruptions and Noise)

चौधरी रिजक राम: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर मेरी गुजारिश यह है कि जो रेजोल्यूशन हमने दिए है पहले वे पुट होने चाहिएं।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे उनको कोई इनफर्मेशन नहीं।

मुख्यमंत्री: जब तक वह इनफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हाउस की कार्यवाही चलनी चाहिए।

चौधरी रिजक राम: बाकी कार्यवाही चलाने से पहले यह जो मोशन है यह लानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष: बगैर इनफर्मेशन के रेजोल्यूशन कैसे आ सकता है? उसके आने तक पहले जो मोशन हाऊस के सामने है उसको ले लेते हैं।

Chief Minister: Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Deputy Speaker said 'I think the Ayes have it. This opinion was challenged. Mr. Deputy Speaker after calling upon those members who were for 'Ayes' and those who were for

'Nos' respectively to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

RESOLUTIONS/MOTIONS RE-REMOVAL OF SPEAKER/WANT OF CONFIDENCE/FULL CONFIDENCE IN THE SPEAKER

Chaudhri Rizaq Ram: Mr. Deputy Speaker, notice of a resolution expressing want of confidence in the Speaker has already been submitted to the office, which should be taken up first. (Interruption and Noise) Sir, notice about the resolution expressing want of confidence in the Speaker was given in the office this afternoon, before the commencement of this sitting. So, my request is that that question/resolution should be taken up before any other business is transacted. That must be taken up first.

(Interruptions and Noise)

Chief Minster: No, that cannot be.

Chaudhir Rizaq Ram: But that is the Rule.

Finance Minister: Mr. Deputy Speaker, the business of the House cannot be suspended on any ground.....

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब तौ जबरदस्ती से अपनी मोशन को लाना चाहते हैं। मेरी तो गुजारिश यह है कि जिसके लिए नोटिस आलरेडी दिया गया हो वह पहले कंसिडर होना चाहिए। हम पहले जब बात

करना चाहते थे तो हमें यह कह कर रोक दिया गया कि पहले चीफ मिनिस्टर साहिब का मोशन मूव हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। अब जब चीफ मिनिस्टर साहिब का मौशन आया तब भी हमें रोका जा रहा है। दूसरी मोशन लाना चाहते थे उसकी इजाजत नहीं दी गई। यह कोई कायदे की बात नहीं है। पहले तो यह छपना चाहिए था।

मुख्यमन्त्री: छप भी जाएगा।

चौधरी रिजक राम: वह तो ठीक है कि छप जाएगा। प्रेस तो आपका ही है। रातों चलता है। उसमें कुछ भी आप छपवा सकते है। मगर हाउस भी तो किन्हीं कायदे कानून के तहत चलता है। अगर चीफ मिनिस्टर साहिब उनकी खतम ही करना चाहते हैं तो अलग बात है जोकि मुनासिब नहीं। मुझे अफसोस है इस बात का। (श्री चांद राम जी की तरफ से कुछ विघ्न) अगर चौधरी चांद राम जी की बात आप मानेंगे तो वह तो आपकी किन्हीं और मुश्किलात में फंसा देंगे। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि कायदे कानून के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहिब को और डिप्टी स्पीकर साहिब को काम करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहिब, यह जो नोटिस आप के आए है यह ठीक नहीं है क्योंकि आज के वास्ते यह इन टाईम नहीं है। कास्टीच्यूशन के आर्टिकल 179(सी) के प्रोववाइजों के मुताबिक स्पीकर के रिमूवल के रैजोल्यूशन का कम से कम 14

दिन का नोटिस होना चाहिए था और नो–कानफिडैंस इन दि स्पीकर वाले रैजोल्यूशन का रूल्ज आफ प्रोसीजर के मुताबिक 7 दिन का नोटिस होना चाहिए था।

RESOLUTIONS/MOTIONS RE-REMOVAL OF SPEAKER/WANT OF CONFIDENCE/FULL CONFIDENCE IN THE SPEAKER

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप रूल 11 भी पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि–

"As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179 (c) of the Constitution, the Speaker shall read the notice to the Assembly and shall then request members who are in favour of leave being granted to move the resolution to rise in their places.....

This is sub-Rule (1) of Rule 11 of the Rules of Procedure of our House.

So, Sir, it is evident from the Rule that leave has to be granted by the House to move this resolution, and to ascertain whether the House grants the leave or not, the matter has to be put before the House today before any other business is transacted.

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहिब, यह तो नोटिस इन टाईम नहीं है। (मख्यमंत्री जी की तरफ से विघ्न)

चौधरी रिजक रामः पहले मुझे खतम तो कर लेने दो। जनबा, रूल्ज में यह नहीं कि after the expiry of the due period of notice इसमें तो यह है कि–

"As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179 (c) of the Constitution, the Speaker shall read the notice to the Assembly, and shall then request members who are in favour of leave being granted to move the resolution to rise in their places.....

(मुख्यमंत्री जी की तरफ से विघ्न)

चौधरी रिजक राम: पहले सुनिए तो। मुझे पता है कि आप फौजी आदमी है।

श्री उपाध्यक्ष: रूल 11 कान्स्टीच्यूशन के आर्टिकल 179(सी) के प्रोवीजन्ज के मातहत है और, चौधरी साहिब, आप इस आर्टिकल को पढ़े इसके मुताबिक ऐसे रैजोल्यूशन को मूव करने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। कान्स्टीरूयूशन के आर्टिकल 179 (सी) के प्रोवीजन्ज रूल्ज पर हावी होते है।

चौधरी रिजक राम: उपाध्यक्ष जी, 14 दिन वाली बात तो लीव मिल जाने के बाद आएगी और यदि आप सब–रूल (2) आफ रूल 11 पढ़े तो बात और क्लीयर हो जाती है। रूल इस प्रकार है–

"As soon as may be after leave is given, a copy of the resolution shall be forwarded to the Leader of the House who shall find time for its discussion, and the motion shall be taken up on the day fixed by the Leader of the House for the purpose".

मुख्यमन्त्री: वह टाईम तो मैं अभी मुकर्रर कर दूंगा। मैं एक मोशन मूव कर रहा हूं जिससे इनकी तसल्ली हो जाएगी।

Chief Minister: I beg to move-

That this House expresses full confidence in the Speaker. I request that this motion be taken up now.

Chaudhri Rizaq Ram: A notice of this motion should have been given to the Secretary, Vidhan Sabha first.

डिप्टी स्पीकर साहिब, रूल्ज में बिल्कुल क्लीयर है कि जिस वक्त भी नोटिस आए स्पीकर उसको हाउस में पढ़ेगा और हाउस ककी लीव मांगी जाएगी। परन्तु यदि यह ज्यादा ही प्रैस करते है और रूल्ज के मुताबिक नहीं करना चाहते तो इनकी मोशन बेशक दिसकस कर ली जाए.....

Chief Minister: This is a dilatory tactic to land the Government into further financial difficulties by extending the Session. We are not going to allow this. They may show their strength here today and go home quietly.

Chaudhri Qizaq Ram: There are two motions one given notice of by the Opposition and the other by the Chief Minister. These be taken up now.

श्री दया कृष्ण: आन ए प्वार्यट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा प्वाईट आफ आर्डर यह है कि लीडर आफ दी हाउस ने जो मोशन पेश की है यह इन आर्डर नहीं है। कानफिडेंस तो होता ही है।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिब, एक मोशन अब लीडर आफ दी हाउस ने पेश कर दी है। दो इधर से हम ने पेश की है। अब यदि आप चाहें तो दोनों को डिसकस कर लीजिए। (मुख्यमंत्री जी की तरफ से विघ्न) देखिए, मैं एक बात आपकी मार्फत अर्ज करना चाहता हूं। मैं बहुत पुलाइटली यह कहना चाहता हूं कि इसी बात की शिकायत थी आपके खिलाफ। अभी तो एक दिन भी नहीं गुजारा की श्री चांद राम जी आपके खिलाफ हो गए।

उप–मुख्यमन्त्री: तभी तो आप कांग्रेस में रहे हुए इनकी मदद करते रहे हैं।

चौधरी रिजक राम: वह तो हुआ जो हुआ परन्तु मैं तो यह कहता हूं कि कभी तो किसी चीफ मिनिस्टर के साथ वफादारी दिखा दिया करो।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपके दोनों रैजोल्यूशन जो रीमूवल आफ दी स्पीकर और वांट आफ कानफिडैंस इन दी स्पीकर के बारे में हैं और यह मोशन जो चीफ मिनिस्टर साहिब की है जिसमें फुल कानफिडैंस इन दी स्पीकर एक्सप्रैस किया गया है, एडमिट

नहीं किए जाते और मूव करने की इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि ये आज के लिए इन टाईम नहीं हैं। कांग्रेस बैचिज की तरफ से 'शेम शेम' (शोर)। (इस वक्त सारे के सारे कांग्रेसी सदस्य सदन से बाहर चले गये)

THE HARYANA APPROPRIATION (No.2) BILL, 1967

Finance Minister (Sh. Mool Chand Jain): I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1967.

Finance Minister (Sh. Mool Chand Jai): I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहिब, जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्तमन्त्री महादय आगामी 1967–68 साल के लिए जो रूपया सैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए पिछले दिनों सार बजट पर विचार हुआ। आपोजीशन के दोस्तों ने जी भकर अपनी सारी बातें कहीं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने भी अपनी जिन्दगी के 10 साल इन आपोजीशन के बैचों पर गुजारें है। हमें पता है कि किस तरह

से हमारे ऊपर तीर चलाया करते थे, तरह तरह की बेकायदगियों करते थे, लेकिन हमने इनकी हर नाजायज हरकत को बरदाशत किया। आज पिछड़े हुए हरियाणा के लिए और उसकी डिवैल्पमेंट करने के लिए जब हरियाणा के सही नुमायंदे सत्तारूड हुए तो हमारे कांग्रेसी भाइयों के पेट में मरोड उठता है। वे यह सहन नही कर सकते कि कांग्रेस के इलावा कोई दूसरी पार्टी सत्तारूड हो। मेरे दोस्त श्री भगवत दयाल चले गये हैं जिन्होने पिछले दिनों सारी स्टेट के कुछ मेम्बरों के इलैकशन लड़ने के एफर्टस को पैरेलाइज करने के लिए जोड़ तोड़ किये थे कि वे फिर मुख्यमन्त्री बन जाएं, लेकिन वे फिर उस पद पर टिक नहीं सके। इस प्राकर वे किसी दूसरे को हकूमत करने हुए नहीं देख सकते।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

स्पीकर साहिब, आज जो बजट हमारे सामने पेश है, वह सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। जो बजट में टैक्सेशन की बात कही गइई है, उसके बार में मैं कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा के किसानों पर पानी का रेट बढ़ा, हमने महसूस किया कि यह किसानों पर बोझ है, उसे विदड्रा कर लिया। इसके बाद जो शहरी जायदाद पर प्रापर्टी टैक्स है, उसके बारे में मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि आज जो शहरों में आबादी है उसमें मिडल क्लास ज्यादा है और उनके पास प्रापर्टी कम है, इसलिए उन पर से यह टैक्स माफ कर दें। इसके इलावा बजट में और कोई

आशंका नहीं है इसलिए इसे पास कर देना चाहिए। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री भगवान देव प्रभाकर (भिवानी): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी ऐप्रोप्रियेशन बिल जो सदन में स्वीकृति के लिए रखा गया है, उस पर पर्याप्त रूप से विचार विनिमय हुआ है। हमने तो पहले ही कहा था कि संयुक्त दल की सरकार के द्वारा प्रस्तुत ऐप्रोप्रियेशन बिल बड़े ठाठ से पास किया जाएगा। कांग्रेस बैंचिज की तरफ से इस गवर्नमेंट का ऐन वक्त पर भी टापल डाउन करने की कोशिश की गइ मगर मैने कहा दिया था कि यह काफिला चलता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। और स्पीकर साहिब, हुआ भी वही कि सरकार के लोग चट्टान की तरह दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं और वह भगौडों की तरह सदन छोड़ कर, मैदान छोड़कर बाहर निकल गए। (प्रशंसा)

यह ठीक है कि आज हरियाणा सिंचाई के अन्दर, ऐनीमल हस्बैडरी के अन्दर और ऐग्रीकल्चर की दृष्टि से कुछ पिछड़ा हुआ है लेकिन जो प्रोवीजन इस सरकार के द्वारा हरियाणा के उत्थान के लिए रखा गया है उसको देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकात हूं कि पांच साल के अन्दर–अन्दर हरियाणा के अन्दर ऐजुकेशन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, टैकनीकल ऐजुकेशन के क्षेत्र में, ऐनीमल हस्बैंड्री के क्षेत्र में, गर्जे कि प्रत्येक दिशा में एक नीवन क्रान्ति हो जाएगी (प्रशंसा) हमें अपने लीडर पर पूरा विश्वास है और हमारे डिप्टी स्पीकर साहिब ने आज जो अपने

अनुभव का पार्लियामेटेरियन के रूप में रूलिंग देकर परिचय दिया है वह हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अंकित होगा। अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह संयुक्त दल की सरकार बराबर पांच साल तक चलेगी और यह जो बिल सदन की स्वीकृति के लिए रखा गया है उसे पास किया जाना चाहिए।

Sh. Faqir Chand Aggarwal (Ambala City): Mr. Speaker, I have gone though the provisions of the Haryana Appropriation Bill. I fully endorse the fact that this Bill has been prepared by eminent legislators and experienced Advocates. I think that huge amounts have been kept in this Bill for development of Industry, Agriculture, Water, Electricity and Tubewells. But I, through your goodself, request the Government that a major portion of the amount in the bill should be expended towards the development of Ambala, which is lacking in every aspect. There are no irrigation means; there are no Government tubewells; there are no proper roads; there is no medical college etc. etc. Therefore, I want that a major portion of this amount should be expended there. This is the most backward area in the entire State of Haryana.

Development Minster: Are you talking of Yamunanager?

Sh. Faqir Chand Aggarwal: No, I am talking of Ambala constituency alone.

In fact no attention has been paid to the development of Ambala earlier. You will kindly recollect that in reply to my question the Irrigation and Power Minister stated

yesterday that there are no Government tubewells in Ambala and Naraingarh tehsils of Ambala District. He also stated that there is not scheme to instal Government tubewells in these tehsils. Therefore, I would again request the Government that Ambala which is a part of the Haryana State should also be paid attention to in the matter of development. In the end I would submit that I am grateful to the hon. Chief Minister and other Ministers that while preparing this Bill they have taken into consideration the interests of all the classes. I fully endorse this bill and it should be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the bill clause by clause.

Clause 2.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 3.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is-

That schedule stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Mool Chand Jain): Sir, I beg to move–

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation No. 2 Bill be passed.

चौधरी प्रताप सिंह (एलनाबाद): स्पीकर साहिब, जहां तक इस ऐप्रोप्रियेशन बिल का ताल्लुक है इसे पास होना ही

चाहिए। मैंने तो कुछ बातें अपनी कांस्टीच्युएंसी के बारे में कहनी हैं। पहले बोलने हुए मैं अपने ख्यालात का इजहार कई मौकों पर कर चुका हूं। हमारो कांस्टोच्युएंसी मीन्ज आफ कम्युनिकेशन के सिलसिले में सबसे बैकवर्ड है जबकि वहाँ की पैदावार राइस और व्होट की इतनी होती है कि उसका रिकार्ड है। मैं सरकार को इन दोनों बातों का जिक्र करके यह इम्प्रेस करना चाहता हूं कि अगर इसकी प्रोडक्शन मंडियों तक पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया जाए तो यह इलाका बहुत तरक्की कर सकता है लेकिन तरक्की के मार्ग में एक ही मुख्य बात हायल होती है और वह यह कि यहाँ पर मोन्ज आफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं है। पिछली सरकार के जमाने में सड़कें मंजूर हुई लेकिन पोलिटोकल कंसिड्रेशन के कारण वह कम्पलीट नहीं की गई। मैं अब अपने मिनिस्टर श्री फूल चन्द जो के नोटिस में यह बात ला देना चाहता हूं कि वहाँ पर अब काम शुरू है मगर उसको रफतार बड़ी स्लो है। उसको टाप प्रायरटी देकर जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने की जरूरत है। दो रोड्ज एलनाबाद और डबवाली तथा एलनाबाद और सिरसा को जल्दी से जल्दी बनवा देना चाहिए। जहाँ तक स्टेट को फाइनेसिज का ताल्लुक है मुझे इसका अहसास है इन सारी बातों के बावजूद मैं आशा रखूंगा कि गवर्नमेंट अपने महदूद जराए के अन्दर रहती हुई भी इन दो सड़को का टाप प्रायरटी देकर मुकम्मल करने की कोशिश करेगी।

1.00 p.m.

एक चीज मैं और गर्वनमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूं। वह यह है कि मेरे हिसार जिले में जो बोर्सटल जेल है वह एलोकेट पंजाब को हुई हुई है मगर उसको लोकेशन हरियाणें में है। मेरी इनफर्मेशन के मुताबिक उसमें सात कैदी है और उस जेल पर 60 हजार रूपए के करीब सालाना खर्चा हरियाणा सरकार कर रही है। अगर यह बात दुरूस्त है तो गर्वनमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसकी एलोकेशन तबदील करवानी चाहिए और जो आज तक खर्चा हुआ है वह पंजाब सरकार से वसूल करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। यह बिल जो है, पास होना चाहिए।

वित्तमन्त्री (श्री मूल चनद जैन): स्पीकर साहिब, वैसे तो बजट पर काफी बहस हो चुकी है और डिमाड्ज पर भी। जो प्वायंट्स मेम्बर साहिबान की तरफ से रेज किए गए हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। प्रापर्टी टैक्स के बारे में डाक्टर मंगल सैन ने जिक्र किया था। उनको याद होगा कि जब मैंने बजट स्पीच को डिसकशन का जवाब दिया था तो मैंने बताया था कि शहरों में जो कोई एक मकान का मालिक है और उसमें खुद रहता है तो ऐसे मालिकों को प्रापर्टी टैक्स से ऐग्जैम्पशन देने के लिए गवर्नमेंट सिरियसली सोच रही है। यह गवर्नमेंट की तरफ से एशोरेंस है। हम फिग्र्ज देख रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट फैसला ले लेगी। दूसरी दो तीन तजवीजें श्री फकीर चन्द जी की तरफ से आई है और श्री प्रताप सिंह जी ने भी अपनी कांस्टीच्युएंसी के

लिए कुछ जरूरी चीजें कहीं है। वह सब तफसील की चीजें हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि अम्बाला की कांस्टीच्युएंसी हो या एलनाबाद कांस्टीच्युएंसी हो और उनके अलावा जितने और बैकवर्ड इलाकाजात है उन सबकी तरफ खास तबज्जुह दी जाएगी। सच पूछो तो सारा हरियाणा ही पसमांदा है और इसीलिए हरियाणे की मांग हुई थी लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कांग्रेस की जो खाली बैंचे है उसके मेम्बरों की स्पीचें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। जैसे आज भी चौधरी रिजक राम ने बड़े तमतराक से कहा कि भाखड़ा के पानीकी एलोकेशन में बड़ी बेइनसाफी हुई है। भला उन से कोई पूछे कि उस गैरइन्साफी का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने बड़ी आसानी से मेरी तरफ इशारा करके कहा कि आप भी शामिल थे। ठीक है हम शामिल थे। लेकिन हमने प्रोटैस्ट किया था। 1954–55 में जो स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा तो उसके सामने हमने हरियाणे का केस पलीड किया था और हम इस बात पर जोर देते रहे कि हरियाणे का केस पलीड किया था और हम इस बात पर जोर देते रहे कि हरियाणा ही नही बल्कि विशाल हरियाणा बनाना चाहिए। आज पता नहीं किस तरह चौधरी रिजक राम ने कह दिया कि सयुक्तदल की सरकार विशाल हरियाणा नहीं बनाना चाहती। स्पीकर साहिब, इस कांग्रेस ने अपनी नामर्दी के कारण प्राईम मिनिस्टर को सालस मान लिया लेकिन हमारे बहादुर चीफ मिनिस्टर ने जनता की आवाज का ख्याल रखते हुए इनके और कांग्रेस हाई कमांड के खतरनाक मूव के खिलाफ जबरदस्त स्टैंड लिया और कहा कि हम प्रधानमंत्री की सालमी को नामंजूर करते

है। अ बवह राज, राज नहीं रहा। अब तो न सिर्फ हरियाणें के लोग बल्कि सब दुनिया के लोग जानते हैं जो चिट्ठी श्री भगवत दयाल ने लिखी थी। उसमें वह लिखते है कि नान–कांग्रेस सरकार तो बनेगी लेकिन वह चंडीगढ़ के बारें में कांग्रेस की पालिसी पर चलेगी। मैं सही तो नहीं जानता कि सपैसिफिकली अंडरस्टैंडिंग चंडीगढ के मुताल्लिक हुई लेकिन यह जो अंडरस्टैडिंग है कि हरियाणें की नान–कांग्रेस सरकार जो बनेगी वह कांग्रेस पालिसी पर चलेगी। चंडीगढ के बारे में कांग्रेस की पालिसी यही है कि प्रधानमन्त्री को सालम मानेगे। यह किस तरीके से हो सकता था। इसको हरियाणे की जनता कभी बरदाशत नहीं कर सकती। स्पीकर साहिब, अभी सियाही नहीं सूखी थी, सिर्फ चंद दिन हुए थे हमने अपना लीडर चुना लेकिन यह बायसेशर्म है कांग्रेसी लीडर के लिए जो वह इस नान–कांग्रेस गवर्नमेंट को टापलडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हफ्ता भी शायद नहीं हुआ कि चंडीगढ के बारें में हाउस ने इत्तफाक राए से रैजोल्यूशन पास किया था कि शाह कमिशन ने जो फैसला किया थाकि चंडीगढ हरियाणे को दिया जाए और उसके बाद सैंटर ने जो गलत फैसला किया वह उसे ठीक करे लेकिन अगर यह कहां जाए कि जैसे कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री को सालस माना वैसे संयुक्त दल भी उसे सालस मान ले तो हम बिलकुल ऐसा नहीं मान सकते। इस मूव के खिलाफ हरियाणे की जनता ने सख्त मुखलिफत की। उन दिनों में जो कुछ लोग देहातों में कह रहे थे उनको पता है। मुझे खुशी है कि यहां न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपने मुंह की खानी पडी बल्कि

मैं तो कहूंगा कि जो इनकी हाई कमांड है वह अगर सबक सीखे तो अच्छी बात है। आखिर 20 साल कांग्रेस की हकूमत रही, क्या हुआ आज अगर लोगों के सही नुमायंदों की गवर्नमेंट बन गई है। अमरीका में, स्पीकर साहिब, दो पार्टीज हैं, कभी रिपब्लिकन पावर में आ जाते हैं कभी दूसरे आ जाते हैं। इसी तरह इंग्लैड में दो पार्टियां है। कौन सा पहाड टूट पड़ा, कौन सी आसमान से बिजली गिर गई अगर नान–कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई। इतने पागल हो गए है जिसका हिसाब नहीं। यही चीज इन्होंने पंजाब में की और वही चीज यहां की। चंडीगढ़ के बारे में जो हरियाणें के लोगों की फीलिंग्ज है उन सैंटर की सरकार की और कांग्रेस हाई कमांड को एहतराम करना होगा। और हरियाणा को जिस माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे हरियाणा बच जाएगा। मैं, स्पीकर साहिब, अर्ज करना चाहता हूं कि हरियणा के लोग खुददार है मेहनती है और उनकी मेहनत से ही यह हरियाणा बनेगा। हरियाणा के लोगों ने हो यह हरियाणा लिया है, सैसे कौन देता था, और हमारे भी अपने हकूक है। सैंट्रल गवर्नमेंट हिन्दुस्तान के लोगों की है जिस में हरियाणा भी एक बराबर की स्टेट है और यह सैंट्रल गवर्नमेंट किसी के बाप की जायदाद नहीं है। सैंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वह किसी के बाप का विरासत नहीं है, हिन्दुस्तान के लोगों का रूपया है और उसमें हरियाणा के लोगों का बतौर हिन्दुस्तानी जो हक है वह हम लेंगे (चीयर्ज) इस करोड़ रूप्ये पर हरियाणा का हक है। बेशक कुछ दिनों के लिए वह हम पर जयादती कर सकते हैं कि हमें मदद न दें लेकिन

चौथा फाईनेस कमिशन आएगा उसमें देखेंगे और फिर अगर यह इसी तरीके से ज्यादती करेंगे तो सैंटर में भी यह कब तक कायम रहेंगे? (चीयर्ज) जिस दोस्तों ने प्वायंटस उठाए थे न सिर्फ उनके हलकों के बारें में बल्कि जहाँ भी पसमांदगी है वहां की तरफ इस सरकार को पूरी तवज्जों है और तवज्जों रहेगी। जैसे जैसे फंडज मिलते जाएंगे यह सरकार ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हर लिहाज से देती जाएगी। जैसा की मैं पहले भी क्लीयर कर चुका हूं और मैं दोहराना नहीं चाहता कि सिवाए इन तीन–चार सालों को माली मुश्किलात के हरियाणा का मुस्तकबिल शानदार है और हरियणा के लोग अपनी मैहनत से जिसके लिए वह मशहूर है तीन–चार साल की माली मुश्किलात का मुकाबला करेंगे और हरियाणा को इतना खुशहाल बनाएंगे कि सारे हिन्दुस्तान के लोग गर्व कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मूव करता हूं कि यह बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

Announcement by the Speaker.

Mr. Speaker: I nominate the following Members of the various Committees of the House:-

COMMITTEE ON PETITIONS

1. Chaudhri Manphool Singh, Deputy Speaker, (Ex-Office Chairman)

2. Rajkumari Sunitra Devi.

3. Sh. Om Prakash Garg.

4. Sh. Kesra Ram.

5. Sh. Faqir Chand Aggarwal.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

1. Sh. Daya Krishan (Chairman)

2. Smt. Parsani Devi.

3. Sh. Hari Singh (Hansi)

4. Chaudhri Dhan Singh.

5. Shri Maru.

6. Shri Hari Singh (Mahendragarh)

COMMITTEE ON SUBORDINATE LAGISLATION

1. Sh. Faqir Chand Aggarwal (Chairman)

2. Sh Partap Singh Thakran.

3. Sh. Randhir.

4. Sh. Kanhaya Lal.

5. Sh. Ganpat Rai.

6. Chaudhri Din Mohammad.

7. Advocate General

LIBRARY COMMITTEE

1. Chaudhir Manphool Singh, Deputy Speaker, (Chairman)

2. Chaudhri Gaya Lal

3. Sh. Ram Kishan Azad

4. Smt. Sneh Lata.

PRIVILEGES COMMITTEE

1. Sh. Fateh Chand Vij, Chairman.

2. Chaudhri Ram Lal.

3. Sh. Mahabir Singh.

4. Sh. Dalip Singh.

5. Sh. Jagdish Chander.

6. Shri Chaman Lal Gupta.

7. Chaudhri Nihal Singh.

8. Sh. Siri Krishan.

RULES COMMITTEE

1. Honourable Speaker (Ex-officio Chairman).

2. Sh. Mool Chand Jain, Finance Minister.

3. Chaudhri Hardwari Lal, Minister for Parliamentary Affaris.

4. Chaudhri Manphool Singh, Deputy Speaker.

5. Smt. Om Prabha Jain.

6. Sh. Ram Singh.

7. Sh. Govind Rai Batra.

SPECIAL INVITEES

1. Sh. Ram Dhari Gaur.

2. Sh. Ram Dhari Balmiki.

1-13 p.m.

Now the House stands adjourned sine die.

(The Sabha then adjourned sine die.)